Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119–2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2020

No. 21-HLA of 2020/65/11504.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 21–HLA of 2020

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2020. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 21st April, 2016.

2. In section 4 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016,- Amendment of section 4 of Haryana Act 14 of 2016.

(i) in sub-section (1), for the words "three years", the words "five years" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act 2016 was enacted to identify those areas falling within Municipal Limits where construction has taken place on more than fifty percent plots prior to 31st March 2015 to declare such areas as the Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas to provide Civic Amenities and Infrastructure in such Areas. In this Act under section 4 "Enforcement to be kept in Abeyance" was for a period of one year which was upto 20.04.2017. The department took following action within the validity period of one year.

   a. Issued guidelines to seek proposal from municipalities vide letter dated 10.7.2015

   b. Circulated the procedure *vide* memo dated 16.09.2016, 18.11.2016 and 26.12.2016 (which were kept on hold vide memo dated 08.08.2017).

   c. Issued Development Charges *vide* order dated 04.10.2016. (which were kept on hold *vide* memo dated 21.10.2016).

2. Since, action regarding declaration of unauthorized colonies could not be completed within one year, therefore further an amendment in the Act was brought extending the time limits from "one year" to "two years" vide notification dated 23.11.2017.the said Act was valid till 20.04.2018.

   a. Thereafter proposals received from various municipalities were examined. Out of the proposal of total 982 colonies of 80 municipalities, 528 colonies were found eligible.

   b. 15 colonies of MC, Gurugram and 9 colonies of MC Faridabad were notified vide notification dated 06.12.2017 under the Act.

3. In the meanwhile action regarding declaration of unauthorized colonies could not be completed within two years, therefore another amendment in the Act was brought extending the time limits from "two year" to "three years" vide notification dated 19.04.2018. As per the said amendment, the Act is valid till 20.04.2019:-

   a. Thereafter 17 colonies of Municipal corporation Gurugram and Faridabad, 343 colonies of other Municipal Corporations, 106 colonies of Municipal Councils and 181 colonies of Municipal Committees have been notified till date

   b. Development Charges have been issued vide order dated 27.09.2018.

4. The amendment to extend validity of the said Act for four years i.e. from 21.04.2016 to 20.04.2020, was submitted by the Department to the Government and the same was also got approved by Vidhan Sabha, but the same could not get notified.

5. During the period of 21.04.2019 to 20.04.2020, the Department notified 15 colonies vide notifications dated 18.06.2019, 10.09.2019, 17.01.2020 and also issued various instructions. Since, the amendment could not get notified, therefore it is required to extend the validity of the Act.

6. Further, at present there are about 15 of colonies for which revised proposal from MCs have been received, which are yet to be notified under the said Act, for which the validity of the said Act is required to be extended.

7. All actions pertaining to declaration of colonies is to be completed within the validity period, but considering that some colonies are yet to be notified which is likely to take time more than the valid period specified in the Act,hence, it is required to extend the period stated in the section 4 of the Act for completion of the process. It is, therefore, proposed that in section 4 (1) and (2) of the Act the words "three years" may be substituted by the words "five years" so that two more years may be made available to declare areas as the Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh: R. K. NANDAL,
The 24th August, 2020. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 21 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2020

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) यह 21 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 की धारा 4 में,–

(i) उप–धारा (1) में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पाँच वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(ii) उप–धारा (2) में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पाँच वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2016 पालिका सीमाओं में पड़ने वाले उन क्षेत्रों को पहचानने के लिये अधिनियमित किया गया था जहाँ 31.3.2015 से पूर्व 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण किया जा चुका है को नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिये इन क्षेत्रों का नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना है। इस अधिनियम की धारा 4 'प्रवर्तन अस्थगित रखना' एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जो 20.04.2017 तक थी। इस विभाग द्वारा एक साल की वैधता के अन्तराल में निम्नलिखित कार्य किये गये :

   क. नगरपालिकाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पत्र दिनांक 10.7.2015 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए।

   ख. इस प्रक्रिया को ज्ञापन दिनांक 16.09.2016,18.11.2016 तथा 26.12.2016 द्वारा परिचालित किया गया (जिस पर ज्ञापन दिनांक 08.08.2017 द्वारा रोक लगा दी गई)।

   ग. आदेश दिनांक 04.10.2016 द्वारा विकास शुल्क जारी किए गए, (जिस पर ज्ञापन दिनांक 21.10.2016 के द्वारा रोक लगा दी गई)।

2. चूंकि अनधिकृत कॉलोनियों को घोषित करने की प्रक्रिया एक साल में पूर्ण नहीं हो सकी, इसलिए अधिनियम में एक साल की अवधि को दो साल का संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.11.2017 द्वारा किया गया था। उपरोक्त अधिनियम की वैधता दिनांक 20.04.2018 तक थी।

   क. इसके उपरांत राज्य में पालिका सीमाओं के अन्तर्गत ऐसे नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रों के सर्वे की प्रक्रिया आरम्भ कर दी। कुल 982 कॉलोनियों के प्रस्ताव 80 नगरपालिकाओं से प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 528 प्रस्ताव योग्य पाये गये हैं।

   ख. गुरूग्राम की 15 कॉलोनियां तथा फरीदाबाद की 9 कॉलोनियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 06.12.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. इस बीच, अनधिकृत कॉलोनियों की घोषणा के सम्बन्ध में कार्रवाई दो वर्षों के अन्दर पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए अधिनियम में एक और संशोधन करवाते हुए समय सीमा को ''दो वर्ष'' से ''तीन वर्ष'', अधिसूचना दिनांक 19.04.2018 द्वारा बढ़ाया गया। उक्त संशोधन के अनुसार अधिनियम दिनांक 20.04.2019 तक वैध है।

   क. इसके बाद नगर निगम, गुरूग्राम और फरीदाबाद की 17 कॉलोनियों, अन्य नगर निगमों की 343 कॉलोनियों, नगरपरिषदों की 106 कॉलोनियों और नगरपालिकाओं की 181 कॉलोनियों को आज तक अधिसूचित किया गया है।

   ख. दिनांक 27.09.2018 को विकास शुल्क जारी किये गये हैं।

4. उक्त अधिनियम की वैधता को चार वर्षों तक बढाने का संशोधन 21.04.2016 से 20.04.2020 तक, विभाग द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया और उसी को विधान सभा द्वारा अनुमोदित भी किया गया, लेकिन अज्ञात कारणों के कारण इसे अधिसूचित नहीं किया जा सका।

5. 21.04.2019 से 20.04.2020 की अवधि के दौरान, विभाग ने 15 कॉलोनियों की अधिसूचनाएं दिनांक 18.06.2019, 10.09.2019, 17.01.2020 अधिसूचित की और विभिन्न निर्देशों को भी जारी किया। चूंकि, संशोधन को अधिसूचित नहीं किया जा सका है, इसलिए अधिनियम की वैधता का विस्तार करना आवश्यक है।

6. इसके अलावा, वर्तमान में लगभग 15 कॉलोनियां हैं, जिनके लिए नगर पालिकाओं से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिन्हें अभी उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाना है, जिसके लिए भी उक्त अधिनियम की वैधता को विस्तारित करना आवश्यक है।

7. कॉलोनियों की घोषणा से सम्बन्धित सभी कार्रवाई वैधता अवधि के अन्दर पूरी की जानी है, लेकिन यह देखते हुए कि कुछ कॉलोनियों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, जिनमें अधिनियम में निर्दिष्ट वैध अवधि से अधिक समय लगेगा, इसलिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 4 में तथित समय अवधि को बढ़ाया जाना है। अतः यह प्रस्तावित है कि इस अधिनियम के अनुभाग 4(1) तथा 4(2) में शब्दों ''तीन साल'', को शब्दों ''पाच साल'' से बदल दिया जाये ताकि ऐसे योग्य क्षेत्रों को नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के लिये दो साल उपलब्ध करवाया जा सके तथा इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा सके।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 24 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।